

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

बोर्ड के समस्त कार्यों का संचालन बोर्ड के लिये निर्धारित एक्ट में सभी प्रक्रिया विद्यमान है। प्रत्येक त्रैमास में नियमानुसार बोर्ड की बैठक की जाती है, जिसमें बोर्ड के कार्यों के संचालन नीति विषयक आदि मामलों में निर्णय लिये जाते हैं, बोर्ड में 6 सरकारी तथा 7 गैरसरकारी सदस्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित किये जाते हैं।

बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने का अधिकार दिया गया है।